मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/प्राथमिकता
संख्या - 1007/नौ-8-2016-21ज/2016

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **जिलाधिकारी,**
पीलीभीत/लखीमपुर खीरी/श्रावस्ती/बलरामपुर/बहराइच/महराजगंज/सिद्धार्थ नगर।

2 **निदेशक,**
सी.एण्ड डी.एस.
उत्तर प्रदेश जल निगम
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊः दिनांकः** 16 **अप्रैल, 2016**

विषयः-रिट याचिका संख्या-एस/(सिविल) संख्या-881/2014 गौरी मौलेखी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने तथा आवारा पशुओं के लिए पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-840/नौ-8-2016-21ज/ 2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से **"कान्हा पशु आश्रय योजना"** को प्रारम्भ किये जाने का उल्लेख करते हुए भारत नेपाल सीमा से सटे 07 जनपदों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज तथा सिद्धार्थ नगर में 01-01 पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस की स्थापना किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था एवं दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निदेशक, सी. एण्ड.डी.एस. उत्तर प्रदेश जल निगम को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दिनांक 15.04.2016 तक प्रस्ताव मांगे गये थे, ताकि प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा सके।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.04.2016 तक किसी भी जनपद से **"कान्हा पशु आश्रय योजना"** के अन्तर्गत पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कृपया इसमें व्यक्तिगत रूचि लेते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों से समन्वय कर **"कान्हा पशु आश्रय योजना"** के अन्तर्गत पशु शेल्टर होम्स/कांजी हाउस का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनाक 25.04.2016 तक शासन को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

कृपया इसे विशेष समयबद्धता एवं प्राथमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।